CGRP010045632025

FORM - D

IN THE COURT OF - **Pankaj Kumar Sinha, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act Raipur, District Raipur (C.G.)**	
[Session Case No.] - **117/2025** (Details of FIR No. - **403/2024** / crime and Police Station) - **Police Station- Rajendra Nagar, Raipur, Distt. - Raipur (C.G.)** [Date of the Judgment] - **14-08-2025**	
Complainant	State of Chhattisgarh Police Station- Rajendra Nagar, Raipur Distt. - Raipur (C.G)
REPRESENTED BY	**Ku. Pooja Mohite,** Addl. Public Prosecutor
ACCUSED	**1- Tushar Pahuja** S/o Late Ram Pahuja, Age-22 Years, R/o Telibandha, Street No.2, Beside Street of Nemani Fataka Shop, Raipur, P.S. Telibandha, Distt. Raipur (C.G.) **2- Yash Khemani @ Sushil Khemani** S/o Sunil Khemani, Age-19 Years, R/o Telibandha, Street No.4, Near Beauty Parlour, P.S. Telibandha, Distt. Raipur (C.G.) **3- Chirag Panjwani** S/o Rakesh Panjwani, Age-20- Years, R/o Shubham Vihar, Near Anmol Super Bazar, Mahavir Nagar, P.S. New Rajendra Nagar, Raipur, Distt. Raipur (C.G.)

	4- Tushar Panjwani S/o Rakesh Panjwani, Age-21- Years, R/o Shubham Vihar, Near Anmol Super Bazar, Mahavir Nagar, P.S. New Rajendra Nagar, Raipur, Distt. Raipur (C.G.)
REPRESENTED BY	Shri **Ravi Sharma,** Advocate **Shri Faisal Rizvi,** Advocate **Shri A.Rahman,** Advocate

FORM - E

Date of offence	13-10-2024
Date of FIR	19-10-2024
Date of Charge sheet	16-04-2025
Date of framing of charges	16-04-2025
Date of commencement of Evidence	19-05-2025
Date of which judgment is reserved	11-08-2025
Date of the judgment	14-08-2025
Date of the sentencing Order, If any	14-08-2025

Accused Details

Rank of accused	Name of accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Wether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1	**Tushar Pahuja** S/o Late Ram Pahuja	**11-12-2024**	**-**	**Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Section -296, 351(3), 115(2), 109, 140(3) & 103**	**convicted & fined**	**For Us 115(2) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 01 Years and 1000/- fined, For Us 109 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 10 Years and 2000/- fined,**	**12-12-2024 to this date 14-08-2025**

						For Us 140 (3) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 05 Years and 1000/- fined, For Us 103 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Imprisonment for Life and 2,000/- fined	
2	**Yash Khemani @ Sushil Khemani** S/o Sunil Khemani	**18-01-2025**	**-**	**Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Section -296, 351(3), 115(2), 109, 140(3) & 103**	**convicted & fined**	**For Us 115(2) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 01 Years and 1000/- fined, For Us 109 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 10 Years and 2000/- fined, For Us 140 (3) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 05 Years and 1000/- fined, For Us 103 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Imprisonment for Life and 2,000/- fined**	**19-01-2025 to this date 14-08-2025**
3	**Chirag Panjwani** S/o Rakesh Panjwani	**18-01-2025**	**-**	**Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Section -296, 351(3), 115(2), 109, 140(3) &**	**convicted & fined**	**For Us 115(2) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 01 Years and 1000/- fined, For Us 109 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment**	**19-01-2025 to this date 14-08-2025**

				103		**for 10 Years and 2000/- fined, For Us 140 (3) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 05 Years and 1000/- fined, For Us 103 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Imprisonment for Life and 2,000/- fined**	
4	**Tushar Panjwani** S/o Rakesh Panjwani	**18-01-2025**	**-**	**Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Section -296, 351(3), 115(2), 109, 140(3) & 103**	**convicted & fined**	**For Us 115(2) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 01 Years and 1000/- fined, For Us 109 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 10 Years and 2000/- fined, For Us 140 (3) of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Rigorous Imprisonment for 05 Years and 1000/- fined, For Us 103 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 Imprisonment for Life and 2,000/- fined**	**19-01-2025 to this date 14-08-2024**

FORM - F

S. No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	1-2
2	Appearance of Advocates	1-2
3	Charge	5-6

4	Admitted Facts	6
5	Prosecution Story	6-9
8	Reasons of findings	12-48
9	Sentence	49-51
10	Period Of Detention & Set-Off	51
11	Disposal of Property	51-52
12	Order of Compensation	52
13	Certificate under section 428 Cr. P. C.	54-57
14	Warrant of Commitment on a sentence(Imprisonment of fine)	58-65
15	Copy of judgement	52-53

–: निर्णय :–
(आज दिनांक 14/08/2025 को घोषित)

01– अभियुक्तगणों के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की धारा **296, 351(3), 115(2), 109, 140(3) एवं 103** के अधीन यह आरोप है कि वे दिनांक 13.10.2024 एवं 14.10.2024 के दरम्यानी रात करीब 02:00 बजे, स्थान : मिनिरियलस कैफे के पास, रिंग रोड नंबर 1, सर्विस रोड, महावीर नगर रायपुर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत यश शर्मा को लोक स्थान मां–बहन की क्षोभकारक अश्लील क्षोभकारक गाली उच्चारित करते हुये, उसे जान से मारने की धमकी देकर, आपराधिक अभित्रास इस आशय से कारित किये कि उसे संत्रास कारित हो तथा उपरोक्त यश शर्मा को हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से मारपीट कर, उसे स्वेच्छया उपहति कारित किये । अभियुक्तगणों के विरूद्ध यह भी आरोप है कि वे यश शर्मा को हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से प्राणघातक वार करते हुये, उसे ऐसी उपहति

कारित किये कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा पहुंचाये गये उपरोक्त चोट से उक्त आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते तथा अभियुक्तगणों के विरूद्ध यह भी आरोप है कि वे उपरोक्त यश शर्मा की हत्या कारित किये जाने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण कारित किये और उपरोक्त यश शर्मा को हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डा से मारपीट कर, उसे साशय ऐसा चोट कारित किये, जिसके संबंध में अभियुक्तगण यह जानते थे अथवा उन्हें यह ज्ञान था कि उनके द्वारा पहुंचायी गयी उपरोक्त चोट या शारीरिक क्षति से, मृतक यश शर्मा की मृत्यु कारित होना संभाव्य है अथवा उनके द्वारा पहुंचायी गयी उपरोक्त चोट से उक्त मृतक यश शर्मा की मृत्यु, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में होना संभाव्य है ।

02– इस प्रकरण में सिवाय इसके अन्य कोई महत्वपूर्ण निर्विवादित तथ्य नहीं है कि प्रकरण के विवेचना के उपरांत तैयार किये गये अभियोग पत्र क्रमांक **15/2025** में ऐसा लेख किया गया है कि इस प्रकरण के अभियुक्त यश खेमानी के पिता **सुनील खेमानी** के द्वारा आरोपियों के फरार होने में संरक्षण दिया गया था, जिस बाबत् साक्ष्य संकलन किया जाना शेष है और उनके विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की **धारा 193(9)** के अधीन अनुसंधान जारी है ।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर के सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गौतम दिनांक 19.10.2024 को 15.30 बजे एम्स अस्पताल रायपुर में उपस्थित होकर आहत यश शर्मा की सूचना के आधार पर

देहाती नालिसी पर अपराध पंजीबद्ध किया । देहाती नालिसी में आहत यश शर्मा के द्वारा ऐसा लेख कराया गया है कि वह कक्षा पांचवी तक पढ़ा–लिखा है, सिंधी समाज की शादियों में पंडिताई का कार्य करता है । दिनांक 13.10.2024 को रात में यश खेमानी उसे फोन करके बोला कि पार्टी करते हैं, और उसे शक्ति धाम, तेलीबांधा गली नंबर 07 के पास बुलाया था, तब यश शर्मा वहां पर पहुंचा, तो उसे **यश खेमानी, तुषार पंजवानी, तुषार पाहुजा** एवं **चिराग पंजवानी** मिले, ये सभी लोग एक कार में, जिसे यश खेमानी चला रहा था, उससे रिंग रोड की ओर रवाना हुये, यश शर्मा पिछली सीट के बीच में बैठा था, चिराग पंजवानी आगे की सीट में बैठा था तथा तुषार पंजवानी यश शर्मा के बांये तरफ एवं तुषार पाहुजा उसके दाहिने तरफ बैठा था । वे सभी लोग यश शर्मा से, तुषार तोलानी, जो यश शर्मा का दोस्त है, उसके बारे में पूछने लगे, तब यश शर्मा बोला कि वह अभी कहां पर होगा इसकी जानकारी नहीं है, तब तक कार रिंग रोड को पार कर, मिनिरियलस कैफे के पास पहुंच गया था, उस समय रात के करीब 02.00 बजा रहा होगा, वहीं पर कार को रोककर यश शर्मा को मां–बहन की अश्लील गालियां देते हुये, जान से मार देने की नीयत से सभी एक राय होकर हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से **यश शर्मा के पेट में मारने लगे,** वह बीच बचाव किया, तो उसके दोनों हाथों में भी चोट लगा और वह जमीन में गिर गया, यश शर्मा के दोनों पैरों में भी बांस के डण्डे से मारपीट किये, जिससे वह मूर्च्छित जैसा हो गया, तब वे उसे अपने कार में डालकर उपचार हेतु मेकाहारा अस्पताल एवं चरौदा सरकारी अस्पताल लेकर गये, उसके बाद

दिनांक 13.10.2024 को सुबह करीब 07.00 बजे यश शर्मा को ले जाकर शगुन फार्म, व्ही.आई.पी. रोड, तेलीबांधा के रूम नंबर 107 में दो दिन तक बंधक बनाकर रखे, यश शर्मा को बाहर से लाकर गोलियां खिलाते थे तथा दर्द कम हो जायेगा ऐसा बोलकर जबरदस्ती शराब पिलाते थे । दिनांक 15.10.2024 को यश शर्मा बोला कि मुझे ठीक लग रहा है, घर छोड़ दो, तब वे सभी लोग ऐसा बोले कि हमारा नाम मत बताना और बोलना कि तुषार तोलानी मेरे साथ मारपीट किया है, यश शर्मा उन्हें आश्वासन दिया, तब उसे रात करीब 11.30 बजे उसके घर के पास छोड़ कर चले गये । आहत यश शर्मा अपने घर जाकर संपूर्ण घटना के बारे में अपनी मां कृष्णा शर्मा एवं बुआ निशा वाधवानी एवं अपने दोस्त तुषार तोलानी को बताया है । उक्त आहत की तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी, वह कुछ खाने पीने का प्रयास करता था, तो उसे उल्टी हो जाती थी, और उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, तब उक्त आहत के घर वाले दिनांक 15.10.2024 को रात करीबन 02.30 बजे उसे लाकर एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती कराये हैं, जहां पर डॉक्टर उसके अंतड़ियों में गंभीर चोट लगने के कारण उसके पेट का ऑपरशन किये हैं । घटना को वहीं पास का पान ठेला वाला एवं रास्ते से गुजरने वाले लोग देखे सुने हैं ।

04– अभियोजन का मामला आगे ऐसा भी है कि थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर के सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गौतम ने थाना वापस आकर, उक्त देहाती नालिसी के आधार पर थाना न्यू **राजेंद्र नगर** रायपुर में अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध कमांक **403/2024** पंजीबद्ध किया । आहत यश शर्मा को इलाज के उपरांत दिनांक 29.11.2024

को एम्स अस्पताल रायपुर से डिस्चार्ज किया गया । उक्त आहत का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे दिनांक 20.12.024 को रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां से दिनांक 13.01.2025 को दिन के 10 बजे डिस्चार्ज किया गया, उक्त आहत को उसके इलाज के लिये मेकाहारा अस्पताल रायपुर में दिनांक 13.01.2025 को भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान दिनांक **14.01.2025** को उसकी **मृत्यु** हो गयी । मेकाहारा अस्पताल रायपुर के अस्पताली मेमो के आधार पर थाना **मौदहापारा** रायपुर में मर्ग इंटीमेशन कमांक **0037/2025** पंजीबद्ध किया गया तथा मामला थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर से संबंधित होने के कारण मर्ग केस डायरी थाना न्यू राजेंद्र नगर भेजे जाने पर, थाना न्यू राजेंद्र नगर में मर्ग सूचना दर्ज कर, मृतक के शव का पंचनामा तैयार किया गया और मेकाहारा अस्पताल रायपुर में उसका शव विच्छेदन कराया गया और प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो उपार्पण पश्चात माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा विधिवत विवर्तन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है ।

05– अभियुक्तगणों के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की धारा **296, 351(3), 115(2), 109, 140(3) एवं 103** के अधीन आरोप पत्र विरचित कर, पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उन्होंने अपराध किये जाने से इंकार किये हैं तथा उनका परीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अधीन किये जाने पर उन्हांने स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किये हैं ।

06– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन अभियोजन साक्षियों खुशी अंदानी (अ.सा.क.–01), उपेन्द्र जाल (अ.सा.क.–02), अमित दीप (अ.सा.क.–03), उमेश रथ (अ.सा.क.–04), संतोष कुमार कंवर (अ.सा.क.–05), साबिर सिद्दीकी (अ.सा.क. –06), निशा वाधवानी (अ.सा.क.–07), कमलेश बोलवानी (अ.सा.क.–08), खुशाल तोलानी (अ.सा.क.–09), डॉ.सतीश सुरेश सातपुते (अ.सा.क.–10), डॉ.नवेद खान (अ.सा.क.–11), देवानंद अंदानी (अ.सा.क.–12), गोपाल प्रसाद यादव (अ.सा.क.–13), डॉ.राधाकृष्ण रामचंदानी (अ.सा.क.–14), देवेंद्र कुमार निषाद (अ.सा.क.–15), डॉ.सतीश पटेल (अ.सा.क. –16), संतोष सचदेव (अ.सा.क.–17), गुलशव कुमार वाधवानी (अ.सा.क.–18), लकेश कुमार गंगेश (अ.सा.क.–19), डॉ. ओमप्रकाश दुबे (अ.सा.क.–20), कृष्णा शर्मा (अ.सा.क. –21), खम्मन साहू (अ.सा.क.–22), सुधांशु माखिजा (अ.सा.क.–23), गौरव मंगलानी (अ.सा. क.–24), अर्पित जैन (अ.सा.क.–25), जितेंद्र कुमार ताम्रकार (अ.सा.क.–26), प्रमोद कुमार सिंह (अ.सा.क.–27) एवं राजेंद्र गौतम (अ.सा.क.–28) का कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जबकि बचाव पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

07– **<u>इस प्रकरण में मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि</u> :–**

1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 13.10.2024 एवं 14.10.2024 के दरम्यानी रात करीब 02:00 बजे, स्थान : मिनिरियलस कैफे के पास, रिंग रोड नंबर 1, सर्विस रोड, महावीर नगर रायपुर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत यश शर्मा को लोक स्थान मां–बहन की अश्लील

गाली उच्चारित कर, क्षोभ कारित किये ?

2. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त यश शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर, आपराधिक अभित्रास इस आशय से कारित किये कि उसे संत्रास कारित हो ?

3. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त यश शर्मा को हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से मारपीट कर, उसे स्वेच्छया उपहति कारित किये ?

4. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर यश शर्मा को हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से प्राणघातक वार करते हुये, उसे ऐसी उपहति कारित किये कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा पहुंचाये गये उपरोक्त चोट से उक्त आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते हुये ?

5. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त यश शर्मा की हत्या कारित किये जाने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण कारित किये ?

6. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त यश शर्मा को हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डा से मारीट कर, साशय उसे

ऐसा चोट कारित किये, जिसके संबंध में अभियुक्तगण यह जानते थे अथवा उन्हें यह ज्ञान था कि उनके द्वारा पहुंचायी गयी उपरोक्त चोट या शारीरिक क्षति से, मृतक यश शर्मा की मृत्यु संभाव्य है अथवा उनके द्वारा पहुंचाये गये उपरोक्त चोट से मृतक यश शर्मा की मृत्यु, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में होना संभाव्य है ?

–: <u>निष्कर्ष के आधार</u> :–

<u>अवधार्य प्रश्न कमांक 01 से 06 पर सकारण निष्कर्ष</u> :– अवधार्य प्रश्न कमांक **01 से 06** परस्पर एक–दूसरे से संबंधित है, अतः साक्ष्य विश्लेषण में पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा के दृष्टिकोण से उपरोक्त अवधार्य प्रश्न कमांक **01 से 06** पर निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है।

08– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला स्वयं अपनी ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिये और यदि प्रकरण संदेहास्पद होना प्रतीत हो, तब संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये ।

09– इस प्रकरण में जहां एक ओर घटना की सूचना इस प्रकरण के आहत/मृतक यश शर्मा ने देहाती नालिसी प्रदर्श पी–44 एवं 45 में स्वयं अभियोजन साक्षी राजेंद्र गौतम (अ.सा.क.28) को दर्ज कराया है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण में इस तथ्य के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किया गया है कि मृतक यश शर्मा की मृत्यु दिनांक 13.10.2024 एवं 14.10.2024 की दरम्यानी रात को अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ किये गये

मारपीट से आयी चोटों के कारण हुई है ।

10– इस प्रकरण के आहत/मृतक यश शर्मा के द्वारा देहाती नालिसी में दिनांक 19.10.2024 को घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें आहत/मृतक यश शर्मा ने ऐसा स्पष्ट लेख कराया है कि अभियुक्तगण उसे शक्तिधाम, गली नंबर 7 तेलीबांधा के पास बुलाये थे और अपने कार में बैठाकर, मिलिरियलस कैफे की ओर ले गये, जहां वे उक्त कैफे के पास कार से उतरकर उसे हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से उसके पेट में मारपीट किये थे और जब वह मुर्च्छित जैसा हो गया, तब उसे कार में डालकर मेकाहारा अस्पताल और चरौदा अस्पताल ले गये थे, तत्पश्चात उसे व्ही. आई.पी. रोड, तेलीबांधा स्थित शगुन फार्म के रूम नंबर 107 में ले जाकर करीब 2 दिन तक रखे और उसे उक्त फार्म में गोली लाकर खिलाते थे । दिनांक 15.10.2024 को आहत यश शर्मा के यह कहने पर वह उसे ठीक लग रहा है, उक्त आहत को यह हिदायत देते हुये कि हमारा नाम मत बताना और ऐसा बोलना की तुषार तोलानी ने उसके साथ मारपीट किया है, उक्त आहत को उसके घर के पास छोड़ दिये थे, तब उक्त आहत घर आकर, घटना के संबंध में अपनी मां कृष्णा शर्मा, अपनी बुआ निशा वाधवानी एवं अपने दोस्त तुषार तोलानी को बताया था ।

11– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त तीनों अभियोजन साक्षियों का कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जिसमें से न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क्र.07) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2

के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन की है कि *"मेरे भतीजे ने मुझे दिनांक 13/10/2024 को मुझे बताया था कि उसे यश खेमानी फोन आया था कि पार्टी करने चलना है, मुझे मेरे भतीजा ने यह भी बताया था कि **यश खेमानी, तुषार पाहुजा, चिरांग पंजवानी, तुषार पंजवानी** ने उसे **गली नंबर–7 में पार्टी करने के लिए बुलाये थे,** तब वह वहां पर अपना एक्टिवा खड़ा कर, अभियुक्तगण के साथ **मिनिरिलियश कैफे** के पास पहुॅचे थे, आरोपीगण मेरे भतीजा को बोले कि **खुशल तोलानी को बुलाओ,** तब मेरे भतीजे ने उसे **बुलाने से मना किया,** तब **आरोपीगण मेरे भतीजे को मॉ–बहन की अश्लील गाली देकर, उसे गाडी से उतारकर, मोटे–मोटे डंडों से मारपीट किया गया, मारपीट से मेरा भतीजा अस्त–व्यस्त हो गया ।"*** यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मुझे मेरे भतीजा ने यह भी बताया था कि **आरोपीगण उसे शगुन फार्म हाउस में लेकर गये थे,** और **उसे दो दिन तक बंदी बनाकर रखे थे** और उसके साथ **मारपीट कर, उसे शराब और गोलिया खिला रहे** थे और बोल रहे थे, इससे तेरा दर्द ठीक हो जायेगा, मुझे मेरे भतीजा ने यह भी बताया था कि आरोपीगण उसे सिगरेट से पुरे शरीर में जलाये थे, **मुझे मेरे भतीजा ने यह भी बताया था कि आरोपीगण उसे लात, घुसे से मारपीट किये थे ।"***

12– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क्र.07) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में

ऐसा भी अभिकथन की है कि *"आरोपीगण मेरे* ***भतीजे को ईलाज कराने के लिए चरोदा हास्पिटल ले गये थे,*** *जहां* ***दो–तीन घंटे रखने के बाद, मेकाहारा लेकर गये*** *थे, मेरे भतीजे ने मेकाहारा से फोन कर, वीडियो कॉल कर, मुझे बताया था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घर आ रहा हूँ ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 4 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि ***"दिनांक 15/10/2024 को मेरा भतीजा रात्रि लगभग 11:30 बजे घर आया, तब वह हरा–हरा उल्टीया कर रहा था, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी,*** *तब हम लोग* ***उसे ईलाज हेतु एम्स अस्पताल*** *रायपुर ले गये थे, जहां चिकित्सको ने बताया था कि* ***उसका हालत बहुत खराब*** *है,* ***चोट के कारण यश शर्मा का पेट का नली खराब हो गया था, जिसका एम्स में ऑपरेशन कराया गया था ।"*** यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मेरे भतीजा यश शर्मा ने मुझे रोते हुए यह भी बताया था कि आप मेरी बुआं हूँ, मै आपको सही–सही बता रहा हूँ कि चारों आरोपीगण मेरे पूरा कपड़ा उतारकर, उसके पेशाब करने वाले अंग से छेड़खानी कर रहे थे ।"*

13– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क.07) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 6 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन की है कि *"इस घटना के संबंध में मुझे जमानती वारंट जारी होने पर मैं दिनांक* ***19/05/2025*** *को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होने वाली थी, इस संबंध*

में अभियुक्तगण मेरे साक्ष्य की तिथि के ***एक सप्ताह पूर्व*** *हमारे घर में आकर,* ***हम लोगों को न्यायालय में घटना के संबंध में सही–सही बयान देने से मना करते हुए, बोले थे कि तुम यदि न्यायालय में घटना का सही बयान दोगी तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो इस प्रकरण के मृतक यश शर्मा का किये है ।"*** यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 6 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"हम लोग जब दिनांक 19/05/2025 को न्यायालय में बयान देने आये तो* ***आरोपी तुषार पाहुजा*** *ने* ***न्यायालय के अभिरक्षा रूम से किसी व्यक्ति के मोबाईल द्वारा हमें पुनः धमकी दिया*** *कि आज तुम लोग घटना के बारे में न्यायालय में बयान दोगें तो तुम लोगों को भी* ***यश शर्मा की भाति मार डालेंगे,*** *मैने अभियुक्तगण के द्वारा दिये गये उपरोक्त धमकी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर एवं थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर को* ***लिखित शिकायत*** *दिये थे, जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय न्यायालय में भी प्रस्तुत किये है, जो* ***प्रपी–13*** *है ।"*

14– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क.07) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 7 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"अभियुक्तगणों के द्वारा हमें न्यायालय में सही बयान देने के संबंध में जो धमकी दिया गया था, उसके संबंध में हम लोगों के लिखित शिकायत के आधार पर थाना* ***सिविल लाईन*** *रायपुर में* ***अभियुक्त तुषार पाहुजा एवं सिमरन पाहुजा*** *के विरूद्ध अपराध कमांक* ***235/2025,*** *धारा 232, 351(3) एवं 3(5) दर्ज किया*

*गया है, हम लोगों की उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त **मनोहर सिंह एवं मनीष सिंह** के विरूद्ध अपराध कमांक **303/2025,** अंतर्गत धारा 232(1), 351(1) एवं 111 दर्ज किया गया था, उपरोक्त दोनों **प्रथम सूचना रिपोर्ट** की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रही हूॅ, जो कमशः **प्रपी–14** एवं **प्रपी–15** है ।"*

15– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क.07) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 7 के पश्चात निवेदन करते हुये शगुन फार्म हाउस से प्राप्त किये गये सीसीटीव्ही फुटेज की चार प्रति पेन ड्राइव में प्रस्तुत की, जिसकी एक–एक प्रति सभी अभियुक्तगण के अधिवक्तागण को दी गयी । यह साक्षियां अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 के तीसरे लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **अस्वीकार** की है कि *"मृतक यश शर्मा को राम कृष्ण हास्पिटल में उसका ईलाज चल रहा था, जिसमें उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा था और हम लोगों ने उसे अस्पताल से **अपनी मर्जी से डिस्चार्ज करवा लिये थे** ।"* यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 13 के छठवे लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **स्पष्टतः इंकार** की है कि *"हम लोग मृतक यश शर्मा को उसका **ईलाज पूर्ण हुए बिना ही निकाल लिये थे, इसलिए उसकी मृत्यु हो गयी ।"*** यह साक्षियां आगे अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 13 के आठवे लाइन में ऐसा स्वतः अभिकथन की है कि ***"मुझे मेरे मृतक भतीजे यश शर्मा ने घटना के बारे में बताया है ।"***

16– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां

निशा वाधवानी (अ.सा.क्र.07) आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16 के पहले लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **स्पष्टतः इंकार** की है कि *"मेरा और मेरे मृतक भतीजा यश शर्मा का दिनांक 13/10/2024 से 15/10/2024 के बीच कोई संपर्क नही हुआ था ।"* यह साक्षियां आगे अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 16 के दूसरे लाइन में ऐसा स्वतः की है कि ***"मैने उसे फोन और वीडियो कॉल से संपर्क की थी ।"*** यह साक्षियां आगे अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका 16 के सातवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"जब मेरा उपरोक्त तिथियों में मृतक यश शर्मा से संपर्क हुआ था उस समय उसके साथ* ***अभियुक्त खेमानी उसके साथ मौजूद था, इसलिए वह उसके डर से घटना के बारे में नहीं बताया था ।"***

17– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां कृष्णा शर्मा (अ.सा.क्र.21) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन की है कि *"दिनांक* ***15/10/2024 को रात 11:30 बजे को मेरा नाती यश शर्मा घर आया*** *और बताया कि दिनांक* ***13/10/2024 को रात में यश खेमानी ने मुझे फोन कर, शक्तिधाम गली नंबर 7 के पास पार्टी करते है बोलकर बुलाया था, जब वह वहां पर पहुँचा, तब वहां पर यश खेमानी के साथ तीन अन्य अभियुक्तगण भी मौजूद थे ।"*** यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मृतक यश शर्मा ने मुझे घर में आकर यह बताया था कि अभियुक्तगण उसे कार की पिछली सीट में*

बैठाकर शगुन फार्म हाउस ले गये थे, और ***एक कैफे के पास अभियुक्तगण उसे तुषार तोलानी को फोन कर बुलाने के लिए बोले थे,*** *उसके द्वारा* ***तुषार तोलानी को नही बुलाने पर, अभियुक्तगण उसे मिनिरिलियस कैफे के पास रोककर मॉ–बहन की गंदी–गंदी गाली देकर, अभियुक्तगण उसे जान से मारने की नियत से हाथ–मुक्का एवं बांस के डंडा से मारपीट किये थे ।"*** यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने से* ***मृतक यश शर्मा के पेट में एवं उसके पेशाब नली में भी चोट आया था*** *और उसके* ***हाथ–पैर में भी चोट*** *आया था, उसके पश्चात् अभियुक्तगण द्वारा मृतक यश शर्मा को* ***शगुन फार्म हाउस लेकर गये थे,*** *और वहां पर उसे* ***दो दिन तक रखे थे,*** *और अभियुक्तगण उसे दर्द कम होगा कहते हुए दवाई खिलाते थे और शराब पीलाते थे ।"*

18– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां कृष्णा शर्मा (अ.सा.क्र.21) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मृतक यश शर्मा जब घर में आया तब मैं उसे एक–दो बार उसे खिचडी खिलायी थी, जिसे* ***वह खाने के बाद उल्टी कर देता था,*** *मृतक का पेट दर्द होने के कारण मैं और मेरी देवरानी गोपी शर्मा उसे एम्स अस्पताल में भर्ती करवाये थे,* ***एम्स अस्पताल*** *में ईलाज के दौरान चिकित्सको ने* ***मृतक यश शर्मा का ऑपरेशन किया था ।"*** यह साक्षियां आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 के पहले लाइन में

बचाव पक्ष के इस सुझाव को **स्पष्टतः अस्वीकार** की है कि ***"मृतक यश शर्मा घटना के बारे में फोन पर एवं घर पर आकर मुझे नहीं बताया था ।"*** यह साक्षियां आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 के दूसरे लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी **इंकार** की है कि ***"एक्सिडेंट में चोट आने के कारण उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराये थे ।"*** यह साक्षिया आगे स्वतः अभिकथन है कि ***"हाजिर अदालत चारों अभियुक्तगण ने उससे मारपीट कर, चोट पहुंचाया था ।"***

19– इस प्रकरण में बचाव पक्ष का तर्क है कि एम्स अस्पताल के मरीज के हिस्ट्री में एक्सीडेंट से चोट आना लिखा है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि आहत यश शर्मा को आयी चोटें, अभियुक्तगणों के द्वारा उससे किये गये मारपीट से पहुंचायी गयी थी । इस संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क है कि आहत के हिस्ट्री में यदि एक्सीडेंट से चोट लिखा भी हो तो इसका तात्पर्य मोटरयान दुर्घटना से नहीं लगाया जा सकता है, मारपीट को भी दुर्घटना कहा जाता है और बचाव पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आहत यश शर्मा को किसी मोटरयान एक्सीडेंट से चोट आया था, ऐसी स्थिति में यदि मरीज के हिस्ट्री में एक्सीडेंट लिखा होने के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तगणों के द्वारा आहत को मारपीट कर, चोट नहीं पहुंचाया गया है । अति.लोक अभियोजक का ऐसा भी तर्क है कि स्वयं आहत यश शर्मा ने अपने द्वारा एम्स अस्पताल में अभियोजन साक्षी राजेंद्र गौतम (अ.सा.क्र.28) के समक्ष देहाती नालिसी में घटना के संबंध में ऐसा

स्पष्ट लेख कराया है कि अभियुक्तगणों के द्वारा हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डंडे से मारपीट किया गया है, अतः मात्र एम्स अस्पताल के जुनियर डॉक्टरों के द्वारा आहत के हिस्ट्री में यह लिखे जाने के कारण एक्सीडेंट के कारण उसे भर्ती कराया गया है, बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकारयोग्य होना प्रतीत नहीं होता है कि आहत यश शर्मा के शरीर में आयी चोटें मोटरयान दुर्घटना से पहुंची है ।

20– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी खुशाल तोलानी (अ.सा.क्र.09), जो कि इस प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी होने के साथ–साथ अभियुक्त तुषार पाहुजा के मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी–16 तथा उसके आधार पर मिनिरियलस कैफे के खाली मैदान से अभियुक्त तुषार पाहुजा द्वारा जप्त कराये गये डण्डा की जप्ती के संबंध में तैयार जप्ती पत्र प्रदर्श **पी–5** का भी स्वतंत्र साक्षी है । न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी खुशाल तोलानी (अ.सा.क्र.09) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"पुलिस वाले दिनांक **11/12/2024** को **अभियुक्त तुषार पाहुजा** का कथन थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में दिन में करीब 12 से 2 बजे के बीच, **मेरे और कमलेश बोलवानी के समक्ष दर्ज किये थे,** अभियुक्त तुषार पाहुजा ने पुलिस को अपने बयान में **यह बताया था कि मै और चिरांग पंजवानी, तुषार पंजवानी एवं यश खेमानी, मृतक यश शर्मा को मिनिरिलियस कैफे के सामने मैदान के पास लेकर गये थे,** और उसे बोले कि तुम खुशाल तोलानी को फोन लगाकर बुलाओ, इस पर यश शर्मा ने मुझे फोन नही*

*लगाया, तब सभी **अभियुक्तगण मिलकर यश शर्मा को बांस के डंडा से मारपीट किये** और मारपीट किये जाने के पश्चात् उसको कार में **मेकाहारा हास्पिटल ले गये थे,** और उसके बाद उसे दिनांक **13/10/2024 से 15/10/2024 तक शगुन फार्म में रखे** और दिनांक **15/10/2024 को कार से लाकर उसे घर छोड दिये ।"*** यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"अभियुक्त तुषार पाहुजा ने मेरे एवं कमलेश बोलवानी के समक्ष पुलिस को ऐसा भी बताया था कि **वह जिस डंडा से मृतक यश शर्मा को मारपीट किया है, उसे वह मिनिरिलियस कैफे के सामने मैदान में फेंक दिया है, जिसे चलकर बरामद करा देगा,** अभियुक्त **तुषार पाहुजा** से पूछताछ पश्चात् तैयार मेमोरेण्डम कथन **प्रपी–16** है ।"*

21– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी खुशाल तोलानी (अ.सा.क्र.09) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"अभियुक्त **तुषार पाहुजा** के उपरोक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार **मुझे एवं गवाह कमलेश बोलवानी के साथ अभियुक्त तुषार पाहुजा को लेकर मिनिरिलियस कैफे** के सामने मैदान के पास गये थे, जहां अभियुक्त* तुषार पाहुजा के द्वारा निकालकर प्रस्तुत *किये जाने पर, हम लोगों के सामने **घटना के प्रयुक्त बांस का डंडा** की जप्ती किये थे, इस संबंध में तैयार **जप्ती पत्रक प्रपी–05** के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।" यह* साक्षी अपने नाम के संबंध में अपने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में ऐसा स्पष्ट अभिकथन किया है कि उसका नाम **तुषार तोलानी न होकर, खुशाल तोलानी है** और उसके पिता का नाम रिंकू तोलानी और वह श्याम नगर आनंदपुरी कुटिया के पीछे, गली नं. 1 थाना तेलीबांधा में रहता है । यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 के पहले लाइन में अपने नाम की स्थिति को स्पष्ट करते हुये ऐसा अभिकथन किया है कि *"मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरा नाम एक बार सही और दूसरी बार गलत तुषार तोलानी के नाम से उल्लेखित हो गया है ।"* ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी खुशाल तोलानी (अ.सा.क्र.09) का वास्तविक नाम तुषार तोलानी न होकर खुशाल तोलानी है । यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 के पहले लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **इंकार** किया है कि *"यश शर्मा से तुषार पाहुजा से कोई वाद–विवाद एवं झगडा नही था ।"* यह साक्षी स्वतः अभिकथन किया है कि ***"एक–दो बार पहले वाद–विवाद हुआ था ।"*** यह साक्षी आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 के दूसरे लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"जब मेरा तुषार पाहुजा से वाद–विवाद हुआ था, तब उस समय मेरे साथ कमलेश बोलवानी भी था ।"*

22– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त तुषार पाहुजा के मेमोरण्डम कथन प्रदर्श **पी–16** के आधार पर तैयार किये गये जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–5 के दूसरे साक्षी कमलेश बोलवानी (अ.सा.क्र.08) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जो जहां एक ओर घटना के संबंध में अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 एवं 3 में अभिकथन

किया है, वहीं दूसरी ओर यह साक्षी अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 एवं 5 में मेमोरण्डम कथन एवं उसके निशानदेही पर तैयार किये गये जप्ती पत्रक के संबंध में अभिकथन किया है । न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी कमलेश बोलवानी (अ.सा.क्र.08) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"दिनांक* ***11/10/2024 में मेरा और खुशाल तोलानी का तुषार पाहुजा से वाद विवाद हुआ था,*** *उक्त घटना के बाद आरोपी* ***तुषार पाहुजा अपने दोस्त तुषार पंजवानी, चिरांग पंजवानी एवं यश खेमानी*** *के साथ* ***मुझे और खुशाल तोलानी को ढुंढ रहे थे,*** *हम लोगों के न मिनले पर यश खेमानी ने यश शर्मा को फोन कर बुलाया और उसे बोला कि खुशाल तोलानी एवं कमलेश बोलवानी को फोन करके बुलाओ,* ***उसके न बुलाने पर यश शर्मा को शराब पीलाया, और उसे डंडा एवं अन्य हथियारों से मारे थे ।"*** यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"पुलिस वाले दिनांक* ***11/12/2024 को अभियुक्त तुषार पाहुजा*** *का कथन थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में मेरे और खुशाल तोलानी के समक्ष दर्ज किये थे, मेरे सामने तुषार पाहुजा ने बताया था कि घटना दिनांक 13/10/2024 को मै यश शर्मा को फोन करके बुलाया था तथा मेरे साथ* ***यश खेमानी, चिरांग पंजवानी एवं तुषार पंजवानी*** *मिलकर, नशे में मृतक यश शर्मा को कार मे बैठाकर,* ***मिनिरिलियस कैफे*** *के पास मैदान के पर लेकर गये थे, और वहां पर य**श शर्मा को बोले कि खुशाल तोलानी को फोन करके***

यहां पर बुलाओ, *तब यश शर्मा अभियुक्तगण के कहे अनुसार* ***खुशाल तोलानी को फोन कर नही बुलाये,*** *तब अभियुक्तगण ने नशे की अवस्था में य****श शर्मा को लाठी–डंडा से मारपीट किये,*** *और उसे मारपीट किये जाने के बाद* ***कार में बैठाकर होटल शगुन फार्म हाउस में ले गये, जहां रूम पहले से बुक था*** *।"*

23– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी कमलेश बोलवानी (अ.सा.क्र.08) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"अभियुक्त तुषार पाहुजा ने पुलिस को अपने बयान में यह भी बताया था कि वे* ***मृतक यश शर्मा को शगुन फार्म में दो दिन रखे थे,*** *और उसके बाद उसे घर छोड दिये, और घर छोडते समय ध****मकी दिये कि अगर घटना के संबंध में किसी को बताओगे तो तुम्हारे साथ और गलत होगा,*** *अभियुक्त तुषार पाहुजा ने पुलिस को अपने बयान में यह भी बताया था कि* ***वह जिस डंडा से मृतक यश शर्मा को मारपीट किया था, उसे वह मिनिरिलियस कैफे के सामने मैदान में फेंक दिया हूॅं, जिसे चलकर बरामद करा दूंगा ।"*** यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *" अभियुक्त तुषार पाहुजा के उपरोक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार मुझे एवं गवाह खुशाल तोलानी के साथ अभियुक्त को लेकर* ***मिनिरिलियस कैफे*** *के सामने मैदान के पास गये थे जहां* ***अभियुक्त के द्वारा निकालकर प्रस्तुत किये जाने*** *पर, हम लोगों के सामने* ***डंडा की जप्ती की गयी थी,*** *इस संबंध में तैयार जप्ती पत्रक* ***प्रपी–05*** *के ब से ब*

भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।" यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 के दूसरे लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **अस्वीकार** किया है कि *"मैदान से पुलिस वाले जप्त किये थे ।"* यह साक्षी स्वतः अभिकथन किया है कि **"आरोपी तुषार पाहुजा ने जप्त करवाया था।"**

24– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों निशा वाधवानी (अ.सा.क्र.07), कृष्णा शर्मा (अ.सा.क्र.21), खुशाल तोलानी (अ.सा.क्र.09) एवं कमलेश बोलवानी (अ.सा.क्र.08) से बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान उनके न्यायालयीन कथनों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास या लोप उत्पन्न नहीं कराया गया है, जिससे उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों पर अविश्वास किया जा सके, बल्कि ठीक इसके विपरीत उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने मृतक यश शर्मा को दिनांक 13.10.2024 एवं दिनांक 14.10.2024 की दरम्यानी रात हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के डण्डा से मारपीट कर उसे चोटे पहुंचाये थे और उपरोक्त चोटों के कारण एम्स अस्पताल रायपुर में उसका ऑपरेशन किया गया था और बाद में उसे रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर एवं मेकाहारा अस्पताल रायपुर में भी भर्ती कराया गया था, जहां उकसी मृत्यु हो गयी थी ।

25– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने एम्स अस्पताल रायपुर के चिकित्सक साक्षी डॉ.राधाकृष्ण रामचंदानी (अ.सा.क्र.14) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि

*"मै आहत **यश शर्मा** का चिकित्सकीय परीक्षण किया, जिसमें मैने पाया था कि आहत के पेट में चोट था तथा आहत के **<u>आंत में छेद पाया था,</u>** जिसका उसी दिन ऑपरेशन किया गया था ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 3 क तीसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"उसका ऑपरेशन किये जाने के पश्चात् उसे 10 दिन तक एम्स अस्पताल मे भर्ती रखकर उसका उपचार किया गया था, **भर्ती रहने के दौरान** ही उसको **चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया,** जिसके कारण उसे अस्पताल के **आईसीयू में भर्ती कर, लगभग एक माह तक उसका ईलाज किया गया,** उसके पश्चात् उसे वार्ड में सिफ्‌ट करने के बाद दिनांक 29/11/2024 को हमारे अस्ताल से डिस्चार्ज किया गया, साक्षी कहता है कि आहत की ओर से स्**वस्थ होने पर स्वयं निवेदन किया गया था** कि वह अपने घर में **परहेज करके अपना स्वास्थ्य लाभ लेगा,** तब उसे डिस्चार्ज किया गया था ।"*

26– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी डॉ. राधाकृष्ण रामचंदानी (अ.सा.क्र.14) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"जिस दिन आहत यश शर्मा को ईलाज के पश्चात् हमारे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, उस दिन **आहत स्वस्थ होना प्रतीत हो रहा था,** जिसे सास संबंधी **एक्सरसाईज एवं खानापान का उचित सलाह देते हुए डिस्चार्ज किया गया था,** हमारे अस्पताल में उक्त आहत का किये गये उपचार से संबंधित बेडहेड टिकट कुल 36 पन्नों का है, जो **प्रपी–23** है, और डिस्चार्ज समरी 03*

पन्नों में है, जो ***प्रपी–24*** *है ।"* इस प्रकार न्यायालय में परीक्षित कराये गये चिकित्सक साक्षी डॉ.राधाकृष्ण रामचंदानी (अ.सा.क्र.14) के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि आहत यश शर्मा एम्स अस्पताल रायपुर में दिनांक 16.10.2024 से दिनांक 29.11.2024 तक भर्ती था और करीब 01 माह तक उसका इलाज आईसीयू भर्ती करके किया गया था, उक्त आहत के आंत में छेद पाया गया था, जिसका ऑपरेशन किया गया था और भर्ती रहने के दौरान उक्त आहत के चेस्ट में इंफेक्शन आ गया था । इस साक्षी के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि वह स्वयं को स्वस्थ महसूस करने के बाद अस्पताल से अनुरोध किया था और डिस्चार्ज किये जाने की तिथि पर आहत यश शर्मा स्वस्थ होना प्रतीत हो रहा था, जिससे सांस संबंधी एक्ससाईज एवं खानपान का उचित सलाह देते हुये डिस्चार्ज किया गया था । इस साक्षी के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि आहत यश शर्मा को बिना स्वास्थ्य हुये ही जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाकर, घर ले जाया गया था, बल्कि इस साक्षी के न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के दूसरे लाइन के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि डिस्चार्ज किये जाने की तिथि पर आहत यश शर्मा स्वस्थ होना प्रतीत हो रहा था, जिसे एक्सरसाईज एवं खान पान का उचित सलाह देते हुये डिस्चार्ज किया गया था ।

27– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर के चिकित्सक साक्षी डॉ.ओमप्रकाश दुबे (अ.सा.क्र.20) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया

है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"आहत **यश शर्मा, उम्र–20 को दिनांक 20/12/2024** को संध्या ईलाज हेतु **रामकृष्ण केयर हास्पिटल** में भर्ती कराया गया था, जो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आहत के छाती एवं पेट में संधातिक प्रहार होना पाया गया था, **आहत को सेप्टिकशॉक में भर्ती किया गया, आहत का अतडी फटना पाया गया था** एवं **अतडी की झिल्ली में खून का भरना** पाया गया तथा **फेफडे में निमोनिया** पाया गया एवं **टेकियोस्टॉमी** भी होना पाया गया था। "* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"आहत का ईलाज हमारे अस्पताल के डॉ. संदीप दबे, डॉ. तामस्कर एवं डॉ. नवकी की टीम के द्वारा **शल्यकिया किया गया था,** तत्पश्चात् **आहत के ठीक होने पर दिनांक 13/01/2025 को प्रातः 10:00 बजे डिस्चार्ज** किया गया था ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 4 के तीसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि ***"आहत को समय पर उपचार नहीं मिलता तो आहत की मृत्यु संभाव्य था ।"***

28– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी डॉ. ओमप्रकाश दुबे (अ.सा.क्र.20) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"दिनांक **13/10/2024** को आहत का किडनैप किया गया था एवं दिनांक **15/12/2024** को **एम्स हास्पिटल रायपुर में शल्यकिया किया गया,** तत्पश्चात् **सास लेने में दिक्कत होने पर उसे वेन्टीलेटर***

पर रखा गया *एवं रामकृष्ण केयर हास्पिटल रायपुर में रेफर किया गया, आहत का प्राथमिक उपचार एम्स अस्पताल रायपुर में किया गया था, आ**हत को सास लेने में दिक्कत एवं शारीरिक कमजोरी महसूस हो रहा था,** आहत का बेडहेड टिकट कुल 04 पन्नों मे है, जो **प्रपी–28** है ।"* इस साक्षी से अभियुक्त **यश खेमानी** के अधिवक्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि *"आहत ने चिकित्सकों के सलाह के विरूद्ध स्वयं को डिस्चार्ज कराया था",* इस पर सक्षी का कथन है कि ***"वह बोला था कि अब मुझे स्वास्थ्य लग रहा है, मैं अपना इलाज अब नहीं कराना चाहता ।"*** यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 के चौथे लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **स्पष्टतः स्वीकार** किया है कि *"ईलाज के दौरान निमोनिया भी पाया गया था जिसके कारण उसे हाई लेवल एंटीबायोटिक लिये जाने की सलाह दी गयी थी ।"*

29– इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने मृतक यश शर्मा के शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सक साक्षी डॉ.नवेद खान (अ.सा.क्र.11) का भी कथन न्यायालय में दर्ज कराया है, जो अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"दिनांक 15/01/2025 को थाना **न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर** के आरक्षक कमांक 1563 साबिर सिद्दीक द्वारा थाना में दर्ज अपराध कमांक **403/2024** में मृतक **यश शर्मा** पिता स्व. राजकुमार शर्मा, उम्र–21 वर्ष, पुरूष के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका तहरीर **प्रपी–21** है, शव की पहचान संतोष सचदेव, गुलशन कुमार वाधवानी एवं आरक्षक साबिर सिद्दीकी द्वारा किया गया था, **मेरे द्वारा दिनांक***

15/01/2025 को समय शाम 04:45 बजे मृतक यश शर्मा *के शव का परीक्षण प्रारंभ किया गया था ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मृतक के चोट या बीमारी का ब्यौरेवार विवरण एवं उसकी अवधि और कारण के संबंध में मैने अभिमत दिया है कि* ***मृतक को सर्जिकल इन्टरवेंशन हुआ हैं, तथा सेफ्सिस के साक्ष्य मौजुद थे ।"*** यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 7 में ऐसा अभिमत दिया है कि *"मृतक यश शर्मा के शव विच्छेदन से प्राप्त परिणाम एवं मेरे 06 वर्ष के चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर उक्त मृतक यश शर्मा के मृत्यु के संबंध में मेरा ऐसा अभिमत है कि* ***मृतक की मृत्यु पलमोनरी एडिमा से हुई है, जो कि निमोनिया भी था,*** *उक्त मृतक की मृत्यु मेरे शव विच्छेदन किये जाने से 24 घंटा के भीतर का था ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 8 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि ***"फेफड़े के टीशु के अंदर पानी भर*** *जाये तो उसे* ***पलमोनरी एडिमा*** *कहा जाता है,* ***मृतक यश शर्मा के शरीर मे आयी चोटों के बाद किये गये सर्जरी में हुए जटिलता के कारण ऐसा पलमोनरी एडिमा होता है ।"***

30– इस प्रकरण में बचाव पक्ष का ऐसा तर्क है कि मृतक यश शर्मा की मृत्यु वास्तव में अभियुक्तगणों के द्वारा पहुंचायी गयी चोटों के कारण न होकर, उक्त मृतक के द्वारा अपना समुचित इलाज न कराये जाने के कारण उसे हुये निमोनिया के कारण हुई है तथा एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती कराते समय उसे एक्सीडेंट से चोट आना

उल्लेखित किया था, ऐसी स्थिति में, अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है ।

31– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये चिकित्सक साक्षी डॉ.नवेद खान (अ.सा.क.11) के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि मृतक यश शर्मा के शरीर में आयी चोटों के बाद किये गये सर्जरी में हुये जटिलता के कारण उसे पलमोनरी एडिमा हुआ था, अर्थात् मृतक यश शर्मा के शरीर में आयी चोटों क संबंध में उसका सर्जरी किया गया था और उक्त सर्जरी में जटिलता के कारण उसे पलमोनरी एडिमा हुआ था, अर्थात् मृतक यश शर्मा की मृत्यु, उसके शरीर में आयी चोटों के इलाज के दौरान उसकी सर्जरी में हुई जटिलता कारण से हुई है, न कि उसे कोई पुराना आंतरिक गंभीर रोग अथवा उसे पुरानी निमोनिया की बीमारी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है ।

32– इस प्रकरण में जहां एक ओर आहत/मृतक यश शर्मा के द्वारा दिनांक 19.10.2024 को थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर क सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गौतम के समक्ष घटना के संबंध में देहाती नालिसी प्रदर्श पी–44 एवं पी–45 में रिपोर्ट दर्ज कराया है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों निशा वाधवानी (अ.सा.क.07), कृष्णा शर्मा (अ.सा.क.21), खुशाल तोलानी (अ.सा.क.09) एवं कमलेश बोलवानी (अ.सा.क.08) के अखंडित न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से भी ऐसा स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा मृतक यश शर्मा को ऐसी संघातिक चोटें

पहुंचायी गयी थी, जिससे उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य थी । जहां तक बचाव पक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि मृतक यश शर्मा की मृत्यु निमोनिया नामक बीमारी के कारण हुई है ? इस संबंध में जहां एक ओर बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आहत/मृतक यश शर्मा को निमोनिया या अन्य कोई गंभीर आंतरिक बीमारी थी, वहीं दूसरी ओर मृतक यश शर्मा के शव का विच्छेदन करने वाले चिकित्सक डॉ.नवेद खान (अ.सा.क्र.11) ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 8 के पहले लाइन में ऐसा स्पष्ट अभिकथन किया है कि फेफडे के टीशु के अंदर पानी भर जाये तो उसे पलमोनरी एडिमा कहा जाता है, **मृतक यश शर्मा के शरीर मे आयी चोटों के बाद किये गये सर्जरी में हुए जटिलता के कारण ऐसा पलमोनरी एडिमा हुआ था ।** तथा यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 के तीसरे लाइन में बचाव पक्ष के इस सुझाव को **स्वीकार** किया है कि *"निमोनिया इन्फेक्शन से होता है ।"*

33– इस प्रकरण में आहत यश शर्मा ने घटना के पश्चात दिनांक 19.10.2024 को देहाती नालिसी प्रदर्श पी–44 व पी–45 में ऐसा रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिनांक 15.10.2024 को अभियुक्तगण ने उसे बोला था कि हमारा नाम मत बताना, यह बोलना कि तुषार तोलानी मेरे साथ मारपीट किया था, उक्त आहत को रात्रि 11.30 बजे उसके घर के पास छोड़ दिये थे । इस प्रकरण के अभियुक्तगणों का आचरण एवं कृत्य एक पेशेवर अपराधियों की भांति होना प्रतीत होता है, क्योंकि जहां एक ओर इस प्रकरण के अभियुक्तगण, आहत यश शर्मा को दिनांक 15.10.2024 को उसके घर के पास छोड़ने के

पूर्व अपना नाम बताने से मना किये थे, वहीं दूसरी ओर अभियुक्तगणों ने आहत यश शर्मा को तुषार तोलानी द्वारा मारपीट किया जाना बताने हेतु हिदायत दिये थे । इस प्रकरण के अभियुक्तगणों के विरूद्ध यह भी गंभीर आरोप है कि वे इस प्रकरण के विचारण के दौरान मृतक यश शर्मा की बुआ अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क्र.07) सहित अन्य अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में घटना के संबंध में सत्य कथन करने से रोकने के लिये न केवल उनके घर जाकर धमकी दिलवाये थे, बल्कि अभियुक्तगणों के विरूद्ध यह भी आरोप है कि जब उन्हें प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय में लाया गया था, तो वे न्यायालय के लॉक–रूम में फोन का प्रबंध कर, उपरोक्त अभियोजन साक्षियों को ऐसी धमकी दिये थे कि यदि घटना के संबंध में सही–सही बयान दोगे, तो तुम्हारा भी वहीं हाल करेंगे, जो इस प्रकरण के मृतक यश शर्मा का किये हैं ।

34– इस प्रकरण में अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोजन साक्षियों को धमकी दिये जाने से संबंधित आवेदक खुशाल तोलानी एवं कमलेश बुलवानी का संयुक्त रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी न्यू राजेंद्र नगर को प्रेषित किये गये शिकायत की प्रतिलिपि प्रदर्श **पी–13** न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । और उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त **तुषार पाहुजा** एवं **सिमरन पाहुजा** के विरूद्ध थाना **सिविल लाईन** रायपुर में दर्ज अपराध कमांक **235/2025** के प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श **पी–14** तथा इसी संबंध में अभियुक्त **मनोहर सिंह** एवं **मनीष सिंह** के विरूद्ध थाना **तेलीबांधा** में दर्ज किये गये अपराध कमांक **303/2025** के प्रथम सूचना

रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श **पी–15** प्रस्तुत किया गया है, जिनके अवलोकन से न केवल ऐसा स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा इस प्रकरण में मृतक यश शर्मा को संघातिक चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित किया गया है, बल्कि उपरोक्त दस्तावेजों के परिशीलन से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण तथा उसके परिजन इस प्रकरण के अभियोजन साक्षियों को धमकाने एवं प्रभावित करने का भी भरसक प्रयास किये हैं, ताकि घटना के संबंध में अभियोजन साक्षीगण न्यायालय में सत्य अभिकथन न कर सके । इस संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक का ऐसा भी तर्क है कि घटनास्थल मिनिरियलस कैफे के पास स्थित पान ठेला वाला, जिसके संबंध में ऐसा कहा गया है कि वह घटना को देखा था, उसे अभियुक्तगण तथा उसके परिजन प्रकरण के विवेचना के दौरान, पुलिस की पहुंच से बाहर कर दिये थे, जिससे न तो उसे अभियोजन साक्षी बनाया जा सका और न ही उसका कथन न्यायालय में दर्ज न कराया जा सका है ।

35– इस प्रकरण के अभियुक्त **यश खेमानी** के पिता **सुनील खेमानी** को भी अपराधी को **संश्रय** दिये जाने के आरोप में दिनांक **04.08.2025** को गिरफ्तार कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करके, रिमाण्ड पर लिया गया है, जिससे संबंधित न्यायिक रिमांड के आवेदन की प्रतिलिपि प्रदर्श **पी–53** को भी अभिलेख में संलग्न किया है । अभियुक्तगण के उपरोक्त कृत्य एवं आचरणों को दृष्टिगत रखते हुये, अतिरिक्त लोक अभियोजक के इस तर्क से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि एम्स अस्पताल रायपुर में आहत यश शर्मा को इलाज हेतु भर्ती कराये जाते समय

अभियुक्तगण के डर से भयभीत रहा हो और वह अथवा उनके परिजन उसे आयी चोटों को एक्सीडेंट से चोट आना बताये हो ।

36– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये शगुन फार्म हाउस के तत्कालीन मैनेजर अभियोजन साक्षी अर्पित जैन (अ.सा.क्र.25) अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 1 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"मैं माह अक्टूबर 2024 में शगुन फार्मस में मैनेजर के पद पर पदस्थ था,* ***शगुन फार्मस में आगंतुक रजिस्टर ऑनलाईन मेंन्टेन किया जाता था,*** *थाना न्यू राजेन्द्र रायपुर के द्वारा हमारे फर्म को दिनांक* ***27/10/2024 को नोटिस प्रपी–29*** *दिया गया था, जिसमें* ***पावती*** *के रूप में अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"पुलिस वाले हमारे फार्मस के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संधारित किये जाने वाले आगंतुक रजिस्टर का मांग किये थे, तब* ***मैने उन्हें दिनांक 13/10/2024 को तुषार पाहुजा एवं शुभम साहू*** *द्वारा हमारे फार्मस में* ***बुक किये गये रूम नंबर 107 का ऑनलाईन*** *डिटेल रसीद* ***प्रपी–30*** *निकालकर दिया था, जिसमें उक्त रूम बुक करने वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड का नंबर, कमशः 524905689327 एवं 882027275128 उल्लेखित है और उक्त कमरा 1500/– रूपये में दिनांक* ***13/10/2024 से 14/10/2024 के लिए बुकिंग किया*** *गया था, उपरोक्त रसीद के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं ब से ब भाग पर हमारे फार्मस के गोल सील मुद्रा अंकित है, और स से स भाग पर रूम बुक करने*

वाले तुषार पाहुजा का हस्ताक्षर है ।"

37– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये श्अभियोजन साक्षी अर्पित जैन (अ.सा.क्र.25) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"हमारे शगुन फार्मस में सीसीटीव्ही कैमरा भी लगा हुआ है, जिसमें हमारे फार्मस में आने वाले आगतुक एवं जो भी फार्मस हाउस में आता है उसकी रिकार्डिग होती है, मैने पुलिस थाना राजेन्द्र नगर रायपुर के कहने पर* ***उपरोक्त अवधि का सीसीटीव्ही फूटेज निकालकर प्रदान किया था, जिसे वे पेन–ड्राईव में सेव कर*** *ले गये थे ।"* इस प्रकार अभियोजन साक्षी अर्पित जैन (अ.सा.क्र.25) के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि अभियुक्त **तुषार पाहुजा** के नाम से शगुन फार्म हाउस में **रूम नंबर 107** दिनांक **13.10.2024 से दिनांक 14.10.2024** तक के लिये बुक कराया गया था और उक्त शगुन फार्म हाउस के सीसीटीव्ही फुटेज को भी पुलिस वाले प्राप्त किये हैं ।

38– इस प्रकरण में अभियोजन साक्षियां निशा वाधवानी (अ.सा.क्र.07) की ओर से प्रस्तुत किये गये सीसीटीव्ही फुटेज को अभियुक्तगण तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक सहित अभियुक्तगण के अधिवक्तागण की उपस्थिति में न्यायालय में चलाकर देखे जाने पर कथित शगुन फार्म हाउस में अभियुक्तगण को होना प्रतीत हुये हैं, इस संबंध में न्यायालय में उपरोक्त **सीसीटीव्ही फुटेज देखे जाने का पंचनामा** तैयार किया गया है, जिसमें अभियुक्तगणों, उनके सभी अधिवक्तागण एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक का हस्ताक्षर है ।

उपरोक्त सीसीटीव्ही फुटेज के अवलोकन से भी अभियोजन के मामले की संपुष्टि होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत अभियुक्तगणों की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त तुषार पाहुजा के द्वारा शगुन फार्म में 13.10.2024 से दिनांक 14.10.2024 तक रूम नंबर 107 बुक किया गया था तथा उक्त फार्म हाउस में अभियुक्तगण भी उक्त तिथि को उपस्थित दिखायी दे रहे हैं ।

39– अभियुक्त तुषार पंजवानी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना दिनांक 13.10.2024 को घटित होना दर्शित किया गया है और उक्त तिथि को अभियुक्त तुषार पंजवानी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर, सुबह करीब 10 बजे रायपुर आया था, इस संबंध में उन्होंने प्रदर्श डी–3 का कम्प्यूटर प्रिंट किया हुआ ई–टिकट न्यायालय में प्रस्तुत किया है । इस प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त रेल्वे का ई–टिकट दिनांक 04.08.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और उक्त तिथि के पूर्व न्यायालय में परीक्षित कराये गये यह प्रश्न नहीं पूछा गया है कि घटना दिनांक 13.10.2024 को अभियुक्त तुषार पंजवानी रायपुर में नहीं था और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उपरोक्त ई–टिकट प्रदर्श डी–3 को विधिवत न्यायालय में प्रमाणित भी नहीं कराया है । इस प्रकरण में जहां एक ओर घटना दिनांक 13.10.2024 को इस प्रकरण के अभियुक्त तुषार पंजवानी का रायपुर में अनुपस्थित होना पूर्णतः विश्वसनीय होना प्रतीत नहीं होता है, वहीं दूसरी ओर घटना दिनांक 13.10.2024 एवं 14.10.2024 के दरम्यानी रात करीब दो बजे घटित होना दर्शित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि यह मान भी

लिया जावे कि अभियुक्त तुषार पंजवानी दिनांक 12.10.2024 को नयी दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 12442 में सवार होकर, दिनांक 13.10.2024 को सुबह करीब 10 बजे रायपुर में आया था, तब भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना दिनांक 13.10.2024 के रात करीब 2.00 बजे अभियुक्त तुषार पंजवानी इस प्रकरण के अन्य अभियुक्तगणों के साथ घटना कारित करने में सम्मिलित नहीं था ।

40– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां खुशी अंदानी (अ.सा.क्र.01) जहां एक ओर अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के पहले लाइन में ऐसा अभिकथन की है कि *"घटना दिनांक **11/10/2024** को मै मोहल्ले में होने वाले दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम में मोहल्ले के अन्य महिलाओं और लड़कियो के साथ डांस का रही थी, उस समय व**हां पर तुषार पहुजा एवं खुशल तोलानी भी थे,** उसके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा तो मुझे उसकी जानकारी नही है ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि ***"दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2024 की रात्रि करीब 12:30 बजे मुझे तुषार पहुजा का फोन आया और वह बोला कि मै वीड़ियो कॉल कर रहा हूँ, उसे उठाना उसके बाद अज्ञात नंबर से वीड़िया कॉल आया, जिसमें तीन लोगों का कमर के नीचे का भाग दिख रहा था,*** *उसके दो–तीन सेकेंड के बाद वीडियो कॉल काट दिया ।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मुझे उपरोक्त वीडियो कॉल वाले*

दिन के दो–तीन दिन बाद ***पता चला कि तुषार पाहुजा, चिरांग पंजवानी, तुषार पंजवानी, एवं यश खुमानी हमारे मोहल्ले के ही सिंधी पंडित यश शर्मा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर, उसे सगुन फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखे थे,*** *यश शर्मा को ज्यादा चोट लगने के कारण एम्स अस्पताल रायपुर में भर्ती किये थे, मारपीट के कारण* ***यश शर्मा के पेट का अतडी फट गया था,*** *जिसका ऑपरेशन एम्स अस्पताल में हुआ था, बाद में उसका कई अस्पतालों में उपचार कराया गया, और ईलाज के दौरान* ***यश शर्मा मृत्यु मेकाहारा रायपुर में हो गयी*** *।"* यह साक्षियां आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 में ऐसा भी अभिकथन की है कि *"मुझे थाना में यह पता चला कि दिनांक* ***11/10/2024 को तुषार पहुजा एवं खुशाल के मध्य जो झगड़ा हुआ था वह मेरे कारण हुआ था और तुषार नही चाहता था कि खुशाल तोलानी हमारे घर के पास आये, और उसी के कारण इन लोगों के मध्य विवाद होते रहता था ।"*** इस प्रकार न्यायालय में परीक्षित करायी गयी अभियोजन साक्षियां खुशी अंदानी (अ.सा.क.01) के न्यायालयीन कथनो के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.10.2024 को दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम में अन्य महिलाओं के साथ यह साक्षियां भी डांस कर रही थी, उसी समय तुषार पाहुजा एवं खुशाल तोलानी भी थे, इस साक्षियां के न्यायालयीन कथनो के परिशीलन से ऐसा भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2024 की दरम्यानी रात करीब 12.30 बजे इस साक्षियां को अभियुक्त तुषार पाहुजा का विडियो कॉल आया था, उसके बाद उक्त अभियुक्त अज्ञात

नंबर से विडियो कॉल किया था, जिसमें तीन लोगों के कमर के नीचे का भाग दिख रहा था । यह साक्षियां यद्यपि अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन नहीं की है, किंतु अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क है कि इस प्रकरण में विवाद का मूल बिंदु यहीं साक्षियां है, जिसको लेकर अभियुक्त तुषार पाहुजा एवं अभियोजन साक्षी खुशाल तोलानी (अ.सा.क.08) के मध्य विवाद हुआ था और जब अभियुक्तगण इस प्रकरण के आहत यश शर्मा को दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2024 के दरम्यानी रात अपनी कार में ले गये थे, तब भी अभियुक्तगण आहत यश शर्मा से खुशाल तोलानी के बारे में पूछताछ कर, उसे बुलाने के लिये बोल रहे थे, और चूंकि आहत यश शर्मा अभियोजन साक्षी खुशाल तोलानी का दोस्त था, जिससे अभियुक्त तुषार पाहुजा का अभियोजन साक्षियां खुशी अंदानी (अ.सा.क.01) को लेकर वाद–विवाद हुआ था, इसी कारण यह घटना घटित हुआ है ।

41– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये प्रकरण के विवेचना अधिकारी राजेंद्र गौतम (अ.सा.क.28) ने प्रकरण के विवेचना कार्यवाही को प्रमाणित करते हुये, जहां एक ओर अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 2 के दूसरे लाइन में ऐसा स्पष्ट अभिकथन किया है कि *"दिनांक 19/10/2024 को एम्स अस्पताल सूचना दिया कि यश शर्मा द्वारा बताया गया कि मैं सिंधी समाज के शादियों में पंडिताई का कार्य करता हूँ,* ***दिनांक 13/10/2024 को यश खेमानी मुझे फोन कर यह बोला कि पार्टी करते है और मुझे गली नंबर–7 तेलीबांधा शक्तिधाम के पास बुलाया,*** *तब मैं वहां गया, वहां पर अभियुक्तगण यश खेमानी, तुषार पंजवानी, तुषार पाहुजा, चिराग*

*पजंवानी मौजूद थे, **जो मुझे कार में बैठाये और मुझे तुषार पाहुजा बोला कि खुशाल तोलानी को बुलाओ, तब मैं उसे फोन करके बुलाने से इंकार कर दिया ।"*** वहीं दूसरी ओर यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 3 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मृतक यश शर्मा ने मुझे ऐसा भी बताया था कि आरोपीगण मुझे **मिनिरिलियस कैफे** के पास करीब 2 बजे रात्रि को ले जाकर, मुझे मॉ–बहन की अश्लील गाली देते हुए जान से मारने की नियत से, सभी एक राय होकर, **हाथ–मुक्का, लात एवं बांस के डंडे** से मुझे मारने लगे, मै अपना बचाव किया, तब मुझे दोनों हाथ में चोट लगा और मै जमीन में गिर गया, जब मैं बेहोश होकर गिर गया, तब आरोपीगण मुझे कार में बैठाकर **मेकाहारा हास्पिटल एवं चरोदा के सरकारी अस्पताल** लेकर गये थे, उसके बाद दिनांक 13/10/2024 को ही सुबह करीब 7 बजे ले जाकर, शगुन फार्मस हाउस व्हीआईपी रोड तेलीबांधा रायपुर के रूम नंबर–107 में दो दिन तक बंधक बनाकर रखे थे, आरोपीगण मुझे दर्द ठीक होगा कहकर, बाहर से दवाई लाकर मुझे खिलाते थे, तथा मुझे जबरदस्ती शराब भी पीलाते थे ।"*

42– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी राजेंद्र गौतम (अ.सा.क्र.28) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मृतक यश शर्मा ने मुझे ऐसा भी बताया था कि दिनांक 15/10/2024 को मै बोला कि मुझे ठीक लग रहा है, मुझे घर छोड दो, तब अभियुक्तगण मुझे बोले कि हम लोगों का नाम मत बताना और खुशाल तोलानी का नाम*

बताना, जिसके बाद मुझे रात्रि लगभग 11 बजे घर छोड़े थे, मै घर आकर घटना के बारे में अपनी मॉ कृष्णा शर्मा, बुआ निशा वाधवानी एवं अपने दोस्त खुशाल तोलानी को बताया था ।" यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मृतक यश शर्मा ने मुझे ऐसा भी बताया था कि घर आने के बाद मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गया था, तब मुझे घर वाले दिनांक 15/10/2024 को मुझे एम्स अस्पताल में भर्ती कराये थे, जहां पर डॉक्टर ने गंभीर चोट आने के कारण मेरे पेट का ऑपरेशन किये थे, घटना को घटना के पास स्थित पान ठेले वाले ने देखा है,* ***देहाती नालसी प्रपी–44*** *है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, देहाती नालसी की कम्प्यूटर टंकित प्रति* ***प्रपी–45*** *है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 6 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैं* ***देहाती नालसी के आधार पर*** *दिनांक 19/10/2024 को अपराध कमांक* ***403/2024*** *का* ***प्रथम सूचना रिपोर्ट*** *दर्ज किया था, जो* ***प्रपी–46*** *है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 6 के तीसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैने विवेचना के दौरान दिनांक 27/10/2024 को संचालक शगुन फार्मस हाउस व्हीआईपी रोड रायपुर को दिनांक 13/10/2024 से दिनांक 14/10/2024 तक का सीसीटीव्ही फूटेज एवं आने–जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने बाबत् नोटिस दिया था, जो* ***प्रपी–29*** *है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 6 के छठवे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"संचालक शगुन फार्मस हाउस व्हीआईपी रोड*

रायपुर द्वारा उक्त अवधि का ***सीसीटीव्ही फूटेज प्राप्त किया था,*** *जिसे मै अभियोग पत्र के साथ संलग्न किया हूँ ।"*

43– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी राजेंद्र गौतम (अ.सा.क्र.28) आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 7 के पहले लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैने विवेचना के दौरान दिनांक 29/10/2024 को चिकित्सा अधिकारी एम्स अस्पताल रायपुर को यश शर्मा बयान देने योग्य है अथवा नही, की जानकारी प्राप्त करने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया था, जो* ***प्रपी–46*** *है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की इसी कंडिका 7 के तीसरे लाइन में ऐसा भी अभिकथन किया है कि *"मैं एम्स अस्पताल रायपुर में जाकर,* ***आहत यश शर्मा के बताये अनुसार उसका कथन प्रपी–47 लेखबद्ध*** *किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 8 में गवाह खुशाल तोलानी एवं कमलेश बोलवानी के समक्ष अभियुक्त तुषार पाहुजा का मेमोरण्डम कथन दर्ज किया जाना एवं उक्त मेमोरण्डम कथन के आधार पर उक्त अभियुक्त के द्वारा गवाहों के समक्ष मिनिरिलिस कैफे के पास से निकाल कर, प्रस्तुत किये गये डण्डे की जप्ती के संबंध में तैयार जप्ती पत्र प्रदर्श पी–5 को तैयार किये जाने का अभिकथन किया है ।

44– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी जितेंद्र कुमार ताम्रकार (अ.सा.क्र.26) ने अभियुक्त यश खेमानी का मेमोरण्डम कथन दर्ज किये जाने और उक्त मेमोरण्डम कथन के आधार पर तेलीबांधा श्मशान घाट के पास उक्त

अभियुक्त के निकाल कर प्रस्तुत किये गये डण्डे को जप्त कर, जप्ती पत्र प्रदर्श पी–6 तैयार किये जाने का अभिकथन किया है और यह साक्षी अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 4 के छठवे लाइन में ऐसा अभिकथन किया है कि *"जप्ती के संबंध में मैने* ***वीडियोग्राफी*** *भी तैयार किया था, जो* ***ई–साक्ष्य एप में अपलोड किया हूँ,*** *जो मेरे आईडी में संकलित है, वीड़ियोग्राफी के संबंध में मैने* ***धारा 63(4)सी का प्रमाण पत्र*** *जारी किया हूँ, जो* ***प्रपी–31*** *है ।"* यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 5 में अभियुक्त **तुषार पंजवानी** का **मेमोरण्डम कथन** दर्ज किये जाने का अभिकथन किया है और घटना में प्रयुक्त किये गये **बेलेनो कार क्रमांक सी.जी.04/पीवी/8967** को जप्त किये जाने का अभिकथन किया है । यह साक्षी आगे अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका 8 में अभियुक्त **चिराग पंजवानी का मेमोरण्डम कथन** दर्ज किये जाने का अभिकथन किया है और अभियुक्त चिराग पंजवानी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त कार को जप्त किये जाने का अभिकथन किया है और इस जप्ती के संबंध में यह साक्षी की साक्ष्य का विडियोग्राफी तैयार कराकर, उसे **ई–साक्ष्य एप में अपलोड करना** एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 63(4) सी** के अधीन **प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करने का भी अभिकथन किया है । यह साक्षी अभियुक्त **यश खेमानी** की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श **पी–32** तैयार किये जाने का भी अभिकथन किया है ।

45– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी जितेंद्र

कुमार ताम्रकार (अ.सा.क्र.26) ने अभियुक्त यश खेमानी, चिराग पंजवानी तथा तुषार पंजवानी को गिरफ्तारी के कारण की सूचना उनको गिरफ्तारी किये जाने पूर्व देना एवं उनको गिरफ्तार किये जाने की सूचना उनके परिजनों को दिये जाने का स्पष्ट अभिकथन किया है । इस प्रकार न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी राजेन्द्र गौतम (अ.सा.क्र.28) एवं जितेंद्र कुमार ताम्रकार (अ.सा.क्र.26) के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है और इन दोनों अभियोजन साक्षियों से बचाव पक्ष के द्वारा किये गये किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास या लोप उत्पन्न नहीं कराया गया है, जिससे इन दोनों अभियोजन साक्षियों के द्वारा किये गये विवेचना संबंधी कार्यवाही को संदेहास्पद कहा जा सके अथवा उनके न्यायालयीन कथनों पर अविश्वास किया जा सके ।

46– इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के परिशीलन से ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा आहत/मृतक यश शर्मा को मां–बहन की क्षोभकारक गाली दिया गया था । न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों न गाली के उन शब्दों के संबंध में अभिकथन नहीं किये है, जिसके संबंध में उनका ऐसा अभिकथन है कि वे अश्लील थे । जब तक न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगण के संबंध में ऐसा अभिकथन न करे कि उसने कौन से ऐसे शब्द उच्चारित

किया है, जिसे वह अश्लील गाली होना अभिकथन किये है, तब तक ऐसा निश्चयात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित किये शब्द अश्लील थे अथवा नहीं, अर्थात् न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों के द्वारा गाली के शब्दों के संबंध में सुस्पष्ट अभिकथन नहीं किये जाने से, अभियोजन का मामला अंतर्गत **धारा 296 भारतीय न्याय संहिता, 2023 युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना प्रतीत नहीं होता है ।**

47— इस प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों का न तो ऐसा अभिकथन है कि अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के कारण आहत यश शर्मा डर गया था, भयग्रस्त हो गया था अथवा संत्रासित हो गया था, अर्थात् इस प्रकरण में आहत यश शर्मा के संत्रासित होने से संबंधी साक्ष्य का अभाव होना प्रतीत होता है, जबकि आपराधिक अभित्रास का अपराध गठित होने के लिये उस व्यक्ति का संत्रासित होना आवश्यक है, जिसे जान से मारने की धमकी दी गयी, इस प्रकरण में न तो ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य है कि आहत यश शर्मा, अभियुक्तगण के द्वारा उसे दिये गये जान से मारने की धमकी के कारण वह डर गया था, भयग्रस्त हो गया था अथवा संत्रासित हो गया था और न ही प्रकरण में ऐसा कोई अन्य सुदृढ़ साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे यह कहा जा सके कि आहत यश शर्मा, अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी के कारण संत्रासित हुआ था । उपरोक्त साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन अपना मामला अंतर्गत **धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 युक्तियुक्त संदेह**

से परे प्रमाणित नहीं कर सका है ।

48– इस प्रकरण में उपरोक्त किये गये संपूर्ण साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, चारों अभियुक्तगणों **तुषार पाहुजा** पिता स्व.राम पाहुजा, **यश खेमानी उर्फ सुशील खेमानी** पिता सुनील खेमानी, **चिराग पंजवानी** पिता राकेश पंजवानी एवं **तुषार पंजवानी** पिता राकेश पंजवानी के विरूद्ध अपना मामला **धारा 296 एवं धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023** युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है, अतः उपरोक्त अभियुक्तगणों को उपरोक्त धाराओं के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है । जबकि अभियोजन पक्ष, उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपना मामला **धारा 115(2), 109, 140(3) एवं धारा 103 भारतीय दण्ड विधान, 1860** युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है, अतः उपरोक्त अभियुक्तगणों को उपरोक्त धाराओं के आरोप **दोषसिद्ध** किया जाता है । निर्णय लेखन कार्य अभियुक्तगण को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु अल्प समय तक स्थगित किया गया।

सही/–
(पंकज कुमार सिन्हा)
विशेष न्यायाधीश **अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी.**
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायपुर (छ0ग0)

पश्चात :–

49– दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगणों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। उनका तर्क है कि ये अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रथम प्रमाणित अपराध है, अतः दण्ड देते

समय अत्यंत उदारता बरता जावे, क्योंकि इस प्रकरण के अभियुक्तगण नवयुवक हैं । विद्वान अधिवक्तागण के तर्क पर विचार किया गया, एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगणों के पूर्व दोषसिद्ध होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, अतः ऐसा संभाव्य है कि यह अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रथम प्रमाणित अपराध हो, किन्तु इस प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा जिस प्रकार से आहत/मृतक यश शर्मा को हाथ,मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डण्डे से मारपीट करके, उसे शगुन फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखे और आहत/मृतक यश शर्मा के पेट एवं अंतड़ियों में आयी संघातिक चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना और अभियुक्तगण के विरूद्ध **<u>हत्या</u>** का मामला प्रमाणित होना पाया गया, उसे दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगणों के साथ दंड के प्रश्न पर उदारता बरते जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, किंतु अभियुक्तगणों के द्वारा किया गया अपराध ऐसी प्रकृति का भी नहीं है, जो विरल से विरलतम (Rarest of Rare) अपराध किये जाने की कोटि में आने वाला अपराध हो, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगणों को **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103** की दोषसिद्धि पर मृत्युदंड से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है ।

50– प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा उसकी प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त **तुषार पाहुजा** पिता स्व.राम पाहुजा, **यश खेमानी उर्फ सुशील खेमानी** पिता सुनील खेमानी, **चिराग पंजवानी** पिता राकेश पंजवानी एवं **तुषार पंजवानी** पिता राकेश पंजवानी को **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा**

115(2) की दोषसिद्धि पर **01–01 (एक–एक) वर्ष के कठोर कारावास** तथा **1,000–1,000/– (एक–एक हजार)** रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । उपरोक्त सभी अभियुक्तगणों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की **धारा 109** की दोषसिद्धि पर **10–10 (दस–दस) वर्ष के कठोर कारावास** तथा **2,000–2,000/– (दो–दो हजार)** रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । उपरोक्त सभी अभियुक्तगणों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की **धारा 140(3)** की दोषसिद्धि पर **05–05 (पांच–पांच) वर्ष के कठोर कारावास** तथा **1,000–1,000/– (एक–एक हजार)** रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । उपरोक्त सभी अभियुक्तगणों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की **धारा 103** की दोषसिद्धि पर **आजीवन कारावास–आजीवन कारावास** तथा **2,000–2,000/– (दो–दो हजार)** रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । अभियुक्तगणों के द्वारा अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम होने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को **प्रत्येक 2,000–2,000/–** रूपये के एवज में **दो–दो माह** का **अतिरिक्त कठोर कारावास** तथा प्रत्येक अभियुक्त को **प्रत्येक 1,000–1,000/–** रूपये के एवज में **एक–एक माह** का **अतिरिक्त कठोर कारावास** भुगताया जावे । अभियुक्तगण के द्वारा इस प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को, उन्हें दिये गये कारावास की सजा से विधिवत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप **मुजरा** किया जावे, इस संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र सजा वारंट के साथ संलग्न

किया जावें । उपरोक्त अभियुक्तगण को दी गई कारावास की सभी सजाएं **साथ–साथ भुगताई जावे।**

51– इस प्रकरण में अभियुक्त **तुषार पाहुजा** को दिनांक 11.12.2024 को गिरफ्तार किया गया है एवं वह दिनांक 11.12.2024 से आज दिनांक 14.08.2025 तक **कुल 246 दिन** न्यायिक अभिरक्षा में रहा है एवं अभियुक्त **यश खेमानी, चिरांग पंजवानी** व **तुषार पंजवानी** को दिनांक 18.01.2025 को गिरफ्तार किया गया और वे दिनांक 19.01.2025 से आज दिनांक 14.08.2025 तक **कुल 207 दिन** न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, इस संबंध में पृथक से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा **428** का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

52– इस प्रकरण में अपील नहीं होने की दशा में, अपील अवधि पश्चात जप्त एक नग बांस का डण्डा, मृतक यश शर्मा का पी.एम.बाद प्रिजर्व रखा ब्लड एवं गाज पीस एवं सैम्पल गाज पीस, एक नग लकड़ी का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाये । प्रकरण में जप्तशुदा एक सफेद रंग का बेलोनो कार कमांक सी.जी. 04/पीव्ही/8967 एवं एक नग एप्पल का मोबाइल, इस निर्णय के घोषित किये जाने की तिथि के 06 माह के भीतर उसके वास्तविक स्वामी द्वारा उक्त कार वाहन एवं मोबाइल फोन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के साथ विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे विधिवत प्रदान किया जावे और उक्त अवधि के अवसान उपरांत, यदि उपरोक्त उक्त कार वाहन एवं एप्पल का मोबाइल के संबंध में कोई दावा अथवा आवेदन प्रस्तुत नहीं

किया जाता है, तो उक्त कार वाहन एवं एप्पल का मोबाइल को विधिवत आम नीलाम के द्वारा विक्रय पश्चात उससे प्राप्त आगम को राजसात किया जाये एवं प्रकरण में अपील होने की दशा में समस्त जप्त सामग्रियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे ।

53– इस प्रकरण में मृतक की संरक्षक श्रीमती कृष्णा शर्मा को विधवा को दर्शित किया गया है, जिसका एकमात्र सहारा मृतक यश शर्मा था, जिसकी इस प्रकरण के चारों अभियुक्तगणों के द्वारा हत्या कारित किया जाना पाया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त मृतक की संरक्षक श्रीमती कृष्णा शर्मा के भरण–पोषण तथा देखरेख परिचर्या हेतु निश्चित रूप से न केवल उसे रकम की आवश्यकता होगी, बल्कि उसके एकमात्र सहारा एवं देखरेख करने वाले यश शर्मा की हत्या हो जाने के कारण भी वह अत्यंत वेदना में होगी, उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में श्रीमती कृष्णा शर्मा को अपने बुढ़ापा के सहारा यश शर्मा की मृत्यु से उत्पन्न क्षति की क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः **भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 396** के **प्रतिकर योजना** तथा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अधिकतम प्रतिकर निर्धारित कर, प्रतिकर प्रदाय किये जाने बाबत इस निर्णय की एक प्रतिलिपि **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)** को अनुशंसा सहित प्रेषित किया जावे।

54– निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि निःशुल्क **अभियुक्तगणों** को प्रदान की

जावे तथा निर्णय की एक प्रतिलिपि सजा वारंट के साथ **जेल अधीक्षक**, केंद्रीय जेल रायपुर को सजा भुगताये जाने बाबत प्रेषित किया जावे एवं निर्णय की एक प्रतिलिपि लोक अभियोजक के माध्यम से **जिला दण्डाधिकारी रायपुर** को प्रेषित किया जावे।

खुले न्यायालय में निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया।

सही/–
(पंकज कुमार सिन्हा)
विशेष न्यायाधीश **अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायपुर (छ0ग0)**

मेरे निदेशन पर टंकित।

सही/–
(पंकज कुमार सिन्हा)
विशेष न्यायाधीश **अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायपुर (छ0ग0)**

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करता हूं, कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल निर्णय/आदेश/कथन में टंकित की गयी है ।

वरिष्ठ निज सहायक का नाम : विनोद कुमार तम्बोली